Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में जयपुर डिस्कॉम का सहायक अभियंता एवं उसका दलाल 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी सहायक अभियंता की प्राईवेट कार की तलाशी में 5 लाख 50 हजार रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 नवम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामनिवास मीना सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. बसवा, जिला दौसा को उसके दलाल देवीसिंह मीना (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 2 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिताजी के नाम से आवेदित कृषि कनेक्शन जारी करने एवं सामान इश्यू करने की एवज में रामनिवास मीना सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. बसवा, जिला दौसा द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी दौसा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नवल किशोर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए रामनिवास मीना पुत्र श्री रामकुमार मीना निवासी दूध की डेयरी, करौली रोड़, सालौदा ग्रामीण महु खुर्द रूरल, महूकलां जिला सवाईमाधोपुर हाल सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. बसवा, जिला दौसा को उसके दलाल देवीसिंह मीना पुत्र श्री अमरसिंह मीना निवासी बड़ा थोक, बामनवास पट्टीकलां जिला सवाईमाधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 2 **हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सहायक अभियंता की प्राईवेट कार की तलाशी में **5 लाख 50 हजार रुपये** की संदिग्ध नकद राशि भी बरामद हुई है जिसके संबंध में एसीबी टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।